


तारीख हुक्म

कार्यवाही कमल में वर्क जारी है। प्रकरण में बहल कबील वादीगण सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रंति प्रकरण में वादीगण विभाजित आराजी के रेकार्डर खातेदार काशनकार हैं। प्रतिवादीगण ने जरिए काधिपत्रना हाजिर कदालत आने के उपरान्त भी आदिनांक तक कोई जवाब/उत्तर/एल्काज पेशा नही किये हैं। अतः वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

आदेश

तन ग्राम जुगलपुरा तहसील कबिला जिला सीडर (राज) अवस्थित कृषि भूमि खण नं० 1261, 1266, 1267, 1271 के संबंध में प्रतिवादीगण को जरिए बन्वाई निषेधाज्ञा पारबंद किया जाता है कि आप उक्त खण नम्बरान बाबत वादीगण के कब्जा-काशन में मजाहमत नहीं करें, जबरन कब्जा नही करें एवं ऐसा कोई कृत्य नही करें जिससे वादीगण के शान्तिपूर्व कब्जा-काशन में किसी प्रकार की मजाहमत हो। उपरोक्त सार पचा डिडी मुर्गी हो। पत्रावली के अन्तर्गत दोहन नम्बर से कम हो तथा बाद तहसील फाजिल दफतर हो यह निर्णय आज दिनांक 23/12/2020 को मेरे प्रकाश पुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
RAB  
अपर क्लर्क अधिकारी  
खण्डला (सीडर)